

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर जिला, जयपुर
(जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर, जयपुर जिला, जयपुर)
फोन नं० 0141-2203090 ई-मेल dlsa18jaipurdistrict@gmail.com

क्रमांक 68

दिनांक 01.04.22

—: विज्ञप्ति :-

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्र क्रमांक-एफ-7(197/1)रालसा/संस्था-किराया वाहन/2022/6380-6410 दिनांक 31.03.2022 एवं वित्त विभाग(जी.एण्डटी/एसपीएफसी) विभाग के परिपत्र दिनांक 19.07.2018 एवं 31.03.2021 के पूर्ण प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करते हुये नियमानुसार 2000 कि.मी. (अधिकतम) प्रतिमाह रनिंग के लिए रूपये 31,350/- अधिकतम प्रतिमाह के मासिक किराये के आधार पर इस कार्यालय(सम्पूर्ण जिला क्षेत्राधिकार) के लिए दिनांक 31.03.2023 तक की अवधि के लिए महिन्द्रा बोलेरो (7 सीटर वातानुकूलित वाहन) अथवा महिन्द्रा स्कॉर्पियो(scorpio), महिन्द्रा अरमाडा(Armada) अथवा इसी श्रेणी के समकक्ष वाहन उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

उक्तानुसार वाहन पूर्णतया अनुबंध के आधार पर किराये पर लिया जाना है, संबंधित व्यक्ति/फर्म/सेवाप्रदाता अपना प्रस्ताव वांछित दस्तावेज संलग्न कर इस कार्यालय में कार्यदिवस में कार्यालय समय प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त वाहन के संबंध में अन्य शर्तें विज्ञप्ति के साथ संलग्न हैं। इच्छुक व्यक्ति/फर्म/सेवाप्रदाता विस्तृत विज्ञप्ति/आवेदन पत्र कार्यालय समय में इस कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं।

अतः इस विज्ञप्ति के जरिये सूचित किया जाता है कि उक्तानुसार वाहन उपलब्ध कराने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म/सेवा प्रदाता विज्ञप्ति पुनः जारी करने की दिनांक से 07 दिवस के भीतर दिनांक 05.04.2022 तक इस कार्यालय में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जावेगा।

पूर्णरूप से भरे हुए सीलबंद प्रस्ताव दिनांक 05.04.2022 तक सांय 05.00 बजे तक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर जिला के कार्यालय में जमा करवाये जा सकते हैं। निविदा दिनांक 06.05.2022 को अध्यक्ष महोदय के समक्ष खोली जावेगी। प्रस्ताव पत्र का प्रारूप एवं अन्य शर्तें जिला न्यायालय, जयपुर जिला, जयपुर की वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/jaipur> पर देखी जा सकती है एवं डाउनलोड की जा सकती है तथा इस कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी देखी जा सकती है।

अध्यक्ष
उपापन समिति
(जिला विधिक सेवा प्राधिकरण)
जयपुर जिला, जयपुर

क्रमांक:- 1935-1939

दिनांक:- 01.04.22

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1-श्रीमान् सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
- 2-सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, जयपुर जिला, जयपुर को जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
- 3-नोटिस बोर्ड, जिला न्यायालय/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर जिला, जयपुर
- 4-आदेश पत्रावली/संबंधित पत्रावली।

अध्यक्ष
उपापन समिति
(जिला विधिक सेवा प्राधिकरण)
जयपुर जिला, जयपुर

किराये के वाहन हेतु प्रस्ताव पत्र

1. प्रस्तावक का नाम व पूरा पता.....
.....
.....दूरभाष नम्बर.....
.....
2. प्रस्तावित वाहन का पंजीयन संख्या व विवरण.....
.....
.....
3. किराये का वाहन उपलब्ध करवाये जाने हेतु विभाग की समस्त निबन्धनों एवं शर्तों की पालना करने में मैं/हम सहमत है तथा सभी शर्तों एवं निबन्धनों, जो सलग्न पृष्ठों में दी गई है, को मेरे/हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप मैंने/हमने हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।
4. इस प्रस्ताव के आधार पर मैं/हम दिनांक 31.03.2023 तक की अवधि तक वाहन उपलब्ध करवाये जाने हेतु बाध्य है।
5. फर्म का जी.एस.टी. पंजीयन क्रमांक
6. पैन न.....
7. पिछले 03 वर्षों के कार्य का विवरण.....
.....
.....
.....

प्रस्तावक के हस्ताक्षर
मय पता व फोन नम्बर

वाहन उपलब्ध कराने हेतु शर्तें व शरायतें

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर जिला, जयपुर के लिए वाहन मासिक आधार पर किराये पर लेने के लिए राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक **No. f.2(4)fd/spfc/2017jaipur dated 19.07.2018** एवं **No. f.2(4)fd/spfc/2017 jaipur dated 31-03-2021** में दिये गये निर्देशानुसार निम्न शर्तों के तहत उपलब्ध करायेगा :-

1. यह की उक्त वाहन कार्यादेश की दिनांक से 31.03.2023 की अवधि के लिए मासिक आधार पर किराये पर उपलब्ध करायेगा, कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर उक्त वाहन को अवधि से पूर्व भी 7 दिवस का नोटिस देकर हटाया जा सकेगा।
2. महिन्द्रा बोलेरा वाहन किराये पर लेने के लिए अधिकतम मासिक भुगतान 31350/- रुपये किया जावेगा। रुपये 31350/- के अतिरिक्त सेवाकर(यदि लागू हो तो) देय होगा।
3. यदि किसी माह में वाहन न्यूनतम 1500 किमी. नहीं चल पाया तो भुगतान निम्नानुसार किया जावेगा :-
 - अ. प्रथम 1500 किमी. तक और 1500 किमी. से कम होने पर भी भुगतान रुपये 26400/- किया जायेगा।
 - ब. 1500 किमी. के अतिरिक्त रुपये 10/- प्रति किमी. की दर से भुगतान किया जायेगा।
4. वाहन जयपुर जिला के बाहर राजस्थान में अन्य किसी दूसरे जिले में वाहन ले जाने पर ड्राईवर को 300/- रुपये प्रति रात्रि पड़ाव भुगतान किया जावेगा।
5. उपलब्ध करवाये जाने वाले वाहन टैक्सी के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिये।
6. वाहन 06 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होगा। विशेष परिस्थिति में सक्षम स्वीकृति से उक्त अवधि को 02 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।
7. वाहन मालिक का वाहन चालक स्वच्छ पोशाक में होगा एवं वाहन को साफ-सुथरा रखेगा।
8. वाहन चालक वैद्य वाणिज्यिक चलाने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा पत्र धारक होना आवश्यक है।
9. वाहन मालिक को किराये पर उपलब्ध करवाये गए वाहन पर एक प्लेट यह उद्यत करते हुए कि वाहन राजकीय कर्तव्य पर है, उपलब्ध करवानी होगा।
10. वाहन को यथा संभव कार्यालय परिसर में ही खड़ा किया जाएगा। (लेकिन जोखिम वाहन मालिक की होगी)
11. वाहन के प्रभार अधिकारी द्वारा वाहन के कर्तव्य का समय निर्धारित किया जावेगा। वाहन उपयोग हेतु कर्तव्य स्थान से दूरी व समय की गणना के अनुसार वाहन की लॉग बुक भरी जायेगी। लॉगबुक निर्धारित प्रारूप में वाहन मालिक को वाहन के साथ उपलब्ध करवानी होगी।
12. वाहन मालिक द्वारा किसी दिनांक को वाहन उपलब्ध नहीं करवाया जाता है तो शास्ति रुपये 2,000/- (दो हजार रुपये) प्रतिदिन आरोपित की जावेगी तथा किराये पर अन्य वाहन लेने की स्थिति में यदि अतिरिक्त भुगतान किया जाता है तो अधिक भुगतान की वसूली वाहन स्वामी से की जावेगी।

